नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ
(जिला राजस्व शाखा)
अल्पकालीन बंदोवस्ती सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए नालन्दा जिलान्तर्गत एकंगरसराय अंचल अन्तर्गत बस/टैक्सी स्टैण्ड की बंदोवस्ती उनके नाम के सामने अंकित (क) तिथि को 11.00 बजे पूर्वाह्न् में समाहर्त्ता, नालन्दा के कार्यालय कक्ष में होगी। अपरिहार्य कारणवश उक्त निर्धारित तिथि को बंदोवस्ती नहीं होने पर सैरातों के सामने अंकित तिथि (ख) एवं (ग) को पूर्व निर्धारित समय एवं स्थान पर बंदोवस्ती की कार्रवाई की जाएगी।

इच्छुक व्यक्ति से डाक में भाग लेने के पूर्व आचरण प्रमाण पत्र/सुरक्षित जमा राशि का 5 (पाँच) प्रतिशत अग्रधन राशि जमा करा ली जाएगी। उच्चतम डाकवक्ता को बंदोवस्ती की 50 (पचास) प्रतिशत राशि उसी समय जमा करना होगा तथा शेष राशि सरकारी नियमानुसार किस्त में वसूलनीय होगी। अन्यथा अग्रधन जब्त कर ली जाएगी। उच्चतम डाकवक्ता को परवाना निर्गत किये जाने के पूर्व एकरारनामा अपने व्यय पर निबंधन कराना आवश्यक होगा।

बस/टैक्सी स्टैण्ड की बंदोवस्ती लने वाले व्यक्ति (1) पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था (2) विधुत व्यवस्था (3) शौचालय की व्यवस्था (4) यात्री शेड का निर्माण (5) सूचना केन्द्र की व्यवस्था (6) बस पड़ाव एवं आस–पास की सफाई की व्यवस्था (7) वाहन से निर्धारित शुल्क से वसूली के लिए छपे हुए कूपन की व्यवस्था एवं (8) बस पड़ाव की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त रखने संबंधी कार्य करेंगे।

अधोहस्ताक्षरी को डाक के समय किसी प्रकार का निर्णय का अधिकार सुरक्षित होगा।

क्र0 सं0	अंचल का नाम	सैरात का नाम	सुरक्षित जमा राशि	डाक करने वाले पदाधिकारी का नाम	डाक का स्थान	डाक की तिथि एवं समय
(1)	एकंगर सराय	एकंगरसराय बस स्टैंण्ड	**57,04,000/–** बस स्टैण्ड का विवरण निम्न रूप है:– थाना–119, खाता– 341 खेसरा–18, 98, 215 रकवा–0.47, 0.11, 0.15 तीनों किस्म सरकारी जमीन बिहार सरकार **खेसरा 18 का चौहद्दी** उत्तर/दक्षिण–रोड पूरब/पश्चिम–खंडहर **खेसरा 98 का चौहद्दी** उत्तर– रैयती, दक्षिण–रोड पूरब /पश्चिम–खंडहर **खेसरा 215 का चौहद्दी** उत्तर– रोड दक्षिण– रैयती पूरब/पश्चिम– रोड	समाहर्त्ता, नालन्दा	नालन्दा समाहरणालय	(क) **05.04.2021** (ख) **06.04.2021** (ग) **07.04.2021**

ह0/–
समाहर्त्ता,
नालन्दा

ज्ञापांक : 931 /रा0, बिहारशरीफ, दिनांक 19/03/21

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, गया/पटना/शेखपुरा/लखीसराय/बेगूसराय/उप विकास आयुक्त, नालन्दा/अनुमंडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ/हिलसा/राजगीर/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिहारशरीफ/हिलसा/राजगीर/कार्यपालक पदाधिकारी, बिहारशरीफ, नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, राजगीर/सिलाव/इसलामपुर/नगर परिषद हिलसा/जिला मत्स्य

पदाधिकारी, नालन्दा/जिला सहकारिता पदाधिकारी, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी अंचल अधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी नालन्दा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि वे अपने–अपने स्तर से इसका व्यापक प्रचार–प्रसार करायेगें एवं संबंधित अंचल अधिकारी उक्त तिथियों को समय पर अपने नाजीर एवं नाजीर रसीद के साथ डाक के समय उपस्थित रहेंगे।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, नालन्दा को सूचनार्थ एवं प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित।

समाहर्त्ता,
नालन्दा